राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांकः प.7(1)आर.पी.जी./कलेक्टर/2016 जयपुर, दिनांकः 1-5-17

आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)आर.पी.जी./कलेक्टर/2016 दिनांक 30.12.2016 के संदर्भ में संसदीय सचिवों को आंवटित जन अभियोग निराकरण के क्रम में जिला भ्रमण के दौरान संसदीय सचिवगण द्वारा उनको आवंटित जिलों में मुख्यतः निम्नानुसार कार्य संपादित किये जायेगें:–

(I) अभाव अभियोग निराकरण संबंधी कार्य–

- जिलों में निर्धारित जिला स्तरीय, पंचायत समिति स्तरीय व पंचायत स्तरीय जनसुनवाई दिवस में भाग लेकर जन अभाव अभियोग निराकरण करना एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करना
- ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रमण निरीक्षण कर जन सुनवाई कार्य की समीक्षा करना
- जिलों में दौरे/भ्रमण के दौरान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से निस्तारित प्रकरणों का रेण्डम आधार पर संतुष्ट/ असंतुष्ट परिवादियों का कॉस वेरिफिकेशन भी सुनिश्चित करेंगे
- परिवादों की समीक्षा में विशेषतः सम्पर्क पोर्टल पर 6 माह से अधिक समय से दर्ज प्रकरणों की विशेष समीक्षा सुनिश्चित करना

(II) विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली नागरिक सेवाओं में आने वाली समस्याओं के समाधान का कार्य–

- विभाग विशेष की किसी योजना एवं नागरिक सेवा में व्यवधान के बिन्दुओं को चिन्हित करने के लिए उनके समाधान के सुझाव प्रपत्र अनुसार प्रस्तुत करना
- e-Mitra के माध्यम से आमजन को दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा कर उनकी समयबद्व कियान्विति भी सुनिश्चित करना

इस संबंध में संसदीय सचिवगण के जिला भ्रमण एवं निरीक्षण कार्यक्रम की सामान्य रूपरेखा एवं रिपोर्टिंग की व्यवस्था निम्नानुसार होगी–

1. संसदीय सचिवगण द्वारा जिला भ्रमण एवं निरीक्षण कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि वे प्रतिमाह न्यूनतम 1 जिले का व्यापक भ्रमण/निरीक्षण एवं जनसुनवाई का कार्य निष्पादित हो जाए।
2. चूंकि प्रथम गुरूवार को पंचायत समिति स्तर पर और द्वितीय गुरूवार को जिला स्तर पर जनसुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित रहता है, अतः यह उचित होगा कि वे माह में किसी एक जिले की जिला स्तरीय जनसुनवाई में और एक पंचायत समिति स्तरीय जनसुनवाई में सम्मिलित हो जाएं।
3. जिलों में प्रत्येक माह में किए गए भ्रमण/निरीक्षण की रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक आवश्यक रूप से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए।
4. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड सूचना की एक प्रति अध्यक्ष, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, राजस्थान सरकार को निम्न ई–मेल आई.डी. chairman.rpg@rajasthan.gov.in पर नियमित रूप से प्रस्तुत करें।

– 2